राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2347/2023

मोमराज विश्नोई **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, जयपुर (राज.)।
3. पुलिस महानिरीक्षक, कोटा रेंज, कोटा।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण), कोटा (राज.)।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा ग्रामीण, (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.09.2023
आदेश की दिनांक : 16.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राम कुमार स्वामी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.05.2019 को अपास्त अथवा परिवर्तित किया जावे और अपीलार्थी की पदोन्नति एवं एसीपी को नहीं रोका जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार प्रथम चयनित वेतनमान 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 23.04.2016 को प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 01.06.2002 के बाद तीन बच्चे होने के कारण उक्त लाभ रोक दिया गया है, जिसके कारण उसे प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 23.04.2019 को दिया गया। अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 19.04.2007 को कांस्टेबल के पद पर हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.03.2017 के द्वारा अपीलार्थी को तीन बच्चे होने

के कारण हैड कांस्टेबल के पद पर वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 तक की पदोन्नति परीक्षा में भाग लेने से रोक दिया गया। इस प्रकार 5 वर्ष तक के लिये पदोन्नति से वंचित किया जाना एवं चयनित वेतनमान का लाभ को भी रोका जाना माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पर्वत सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10159/2015 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2016 में इस तरह से कार्मिक को लाभ से वंचित किया जाना उचित नहीं माना है। इसी प्रकार एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1024/2018 श्री राम बारूपाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.11.2021 में दोहरे दण्ड देना उचित नहीं माना है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को उक्त मामले के संबंध में दिनांक 14.08.2023 को अभ्यावेदन दिया, जिसमें प्रार्थना की है कि प्रथम चयनित वेतनमान 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तीन वर्ष के लिये नहीं रोका जावे और चूंकि हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति पहले से ही उक्त कारणों से रोकी गई है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.05.2019 को अपास्त अथवा परिवर्तित किया जावे और अपीलार्थी की पदोन्नति एवं एसीपी को नहीं रोका जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को जिला कोटा ग्रामीण में कांस्टेबल के पद पर दिनांक 23.04.2007 को नियुक्ति प्रदान की गई और 9 वर्ष की सेवा दिनांक 23.04.2016 को पूर्ण होने पर राज्य सरकार के परिपत्र एवं वित्त विभाग के अधिसूचना दिनांक 06.10.2008 के प्रावधान अंतर्गत दो से अधिक संतान होने पर सजाओं का प्रभाव होने से 9 वर्ष की सेवा दिनांक 23.04.2019 को पूर्ण करने पर प्रथम एसीपी स्वीकृत की गई एवं कार्मिक विभाग के अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 द्वारा सेवा नियमों में संशोधन कर दो से अधिक संतान होने पर पदोन्नति से वंचित करने के प्रावधान को हटा दिया गया। परंतु पूर्व में की गई कार्यवाही तत्समय नियमों के अनुसार की गई है, जो उचित है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत एस.बी.सिविल रिट पीटिशन संख्या 1024/2018 श्रीराम बारूपाल बनाम राजस्थान राज्य में पारित

निर्णय दिनांक 20.11.2021 प्रस्तुत किया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निम्नानुसार से मत व्यक्त किया है :–

"The court clearly opined that the respondents having inflicted one punitive action of department of ACP for a period of 5 years because of the fact that the employee fathered a third child after 13.08.2024 and having been penalised, by no means, the respondents could have inflicted another adversity on the petitioner for the same cause.

In that view of the matter, the issue raised by the petitioner is squarely covered by the judgment in the case of Parbat Singh (supra;

So far as the submissions made by learned counsel for the respondents regarding taking action under two different orders is concerned, the mere fact that two different orders dealing with promotion as well as ACP are in existence, does not mean the same has to be applied to the same employee.

The deferment of either promotion or ACP, as the case may be, is required to be applied to the subject employee, however, both the circulars cannot be applied to the same employee, for the same cause."

अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट होता है कि जहां एक आदेश/परिपत्र से अपीलार्थी को दण्डित किया जा चुका है, वहां दूसरे आदेश के आधार पर अपीलार्थी को उसी कारण के आधार पर दण्डित किया जाना उचित नहीं है। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी को दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् 2 से अधिक संतान होने की दशा में 5 वर्ष तक योग्यात्मक परीक्षा के लिए वंचित रखा जा चुका है, तो वहां पर अपीलार्थी को दूसरी बार उसी कारण के आधार पर 3 वर्षों तक ए.सी.पी. का लाभ दिये जाने पर रोक लगाई जाना उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.05.2019 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को 9 वर्षीय एसीपी का लाभ के लिए 3 वर्षों तक वंचित नहीं किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य